संख्या-23/2015/705 सी0डी0/46-3-15-1000(56)/2014

प्रेषक,

राम मोहन सक्सेना,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

गन्ना आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

चीनी उद्योग अनुभाग-3 लखनऊः दिनांक 30 मार्च, 2015

विषय- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 हेतु गन्ना विभाग की शुगरकेन सीड प्रोडेक्शन प्रोग्राम हेतु बजट में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष कृषि विभाग द्वारा अवमुक्त धनराशि रु0 2500 लाख के व्यय/उपयोग के सम्बन्ध में प्रशासकीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-2475-76/रा0कृ0वि0यो0/विकास दिनांक 30.03.2015 का संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृषि विभाग (नोडल विभाग) द्वारा मुख्य सचिव, उ0प्र0 की अध्यक्षता वाली एस0एल0एस0सी0 द्वारा वर्ष 2014-15 के लिए अनुमोदित धनराशि रु0 58,33,66,000 के सापेक्ष गन्ना विकास विभाग हेतु शुगरकेन सीड प्रोग्राम परियोजना हेतु, पुनर्विनियोग के माध्यम से प्राविधानित धनराशि रु0 25,00,00,000/-(रु0 पच्चीस करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति विषयक शासनादेश संख्या- 647/12-3-2015-100(76)/2012, दिनांक 30 मार्च, 2015 के माध्यम से अवमुक्त की गयी उक्त धनराशि से, पत्र के संलग्नक में दिये गये जनपदवार/कार्यक्रमवार फा ॅट/कार्ययोजना के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2014-15 में गन्ना विकास विभाग के शुगरकेन सीड प्रोडेक्शन प्रोग्राम के भौतिक कार्यो हेतु, निम्नलिखित शर्तो के अधीन, उपयोग/व्यय किये जाने की एतद्द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति/अनुमति प्रदान की जाती हैः-

(1) प्रस्तर-2 में स्वीकृत धनराशि का व्यय कृषि विभाग के उक्त शासनादेश संख्या- 647/12-3-2015-100(76)/2012 दिनांक 30.03.2015 में दिये गये शर्तो/प्राविधानों के अनुसार समयान्तर्गत आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए शासन/कृषि विभाग एवं अन्य सम्बन्धित को प्रमाणिक सूचनाएं उपलब्ध करायी जाय।

(2) गन्ना विभाग द्वारा संचालित संलग्न कार्यक्रमों का संचालन राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत शासनादेश संख्या-2077सी0डी0/46-3-23-1000(74)/2012 दिनांक 31 जनवरी, 2013 एवं शासनादेश संख्या-2331सी0डी0/46-3-23-1000(74)/2012 दिनांक 22 नवम्बर, 2013 द्वारा निर्गत मार्गदर्शक सिद्धान्तो(गाइड लाईन्स) के आधार पर क्रियान्वित की जायेगी।

(3) गन्ना विकास विभाग द्वारा संचालित जनपदवार/योजनावार कार्यक्रमों को संलग्न विवरण के अनुसार वर्ष 2014-15 के वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप उपयोग किया जाय तथा सम्पन्न कार्यक्रमों की समुचित पुष्टि कराते हुए यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि योजना अन्तर्गत लाभार्थियों को दी जा रही सब्सिडी/सहायक अनुदान में वर्तमान तथा भविष्य की अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति न हो। इस हेतु समस्त उत्तरदायित्व जिला गन्ना अधिकारी एवं अपर गन्ना आयुक्त (विकास) का होगा।

.....2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(4) संलग्न विवरण में उ0प्र0 गन्ना शोध परिषद, शाहजहाँपुर के लिए उल्लिखित कार्यक्रम का जनपदवार विवरण एवं कार्ययोजना सुनिश्चित करते हुए विवरण शासन/कृषि विभाग को उपलब्ध करा दिया जायेगा।

(5) प्रस्तर-2 में वर्ष 2014-15 के लिए अनुमोदित कार्ययोजना के सापेक्ष स्वीकृत धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष में ही किया जाना सुनिश्चित किया जाय तथा यदि धनराशि अवशेष बचती है तो उसे तत्काल शासन को समर्पित कर दिया जाय। तदनुसार उपयोग की गयी धनराशि का कार्यक्रमवार/जिलावार विवरण शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(6) गन्ना विकास विभाग द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत संचालित संलग्न कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल/फाइनंशियल हैण्डबुक के नियमों तथा केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों/नियमो एवं गाइडलाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(राम मोहन सक्सेना)
विशेष सचिव।

संख्या-23/2015/ 705(1)सी0डी0/46-3-15-1000(56)/2014, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- समस्त जिला गन्ना अधिकारी/बीज उत्पादन अधिकारी(संलग्नक में उल्लिखित जनपद के अनुसार)
2- प्रमुख सचिव, कृषि विभाग उ0प्र0 शासन।
3- अपर गन्ना आयुक्त(विकास)/वित्त नियन्त्रक, गन्ना आयुक्त कार्यालय, उ0प्र0।
4- प्रभारी निदेशक, उ0प्र0 गन्ना शोध परिषद, शाहजहाँपुर।
5- समस्त सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
6- समस्त सम्बन्धित जिलाधिकारी, उ0प्र0।
7- संयुक्त सचिव, कृषि अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।
8- समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0(संलग्नक में उल्लिखित जनपद के अनुसार)
9- नोडल अधिकारी(आर0के0वी0वाई0), उ0प्र0 कृषि भवन लखनऊ।
10- नियोजन अनुभाग-3/राज्ययोजना आयोग-1/2
11- वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-6/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
12- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राम मोहन सक्सेना)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश संख्या-23/2015/ 705सी0डी0/46-3-15-1000(56)/2014, दिनांक 30 मार्च, 2015 का संलग्नक

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना वर्ष 2014-15 की कार्ययोजना के सापेक्ष अवमुक्त धनराशि रु० 2500 लाख की जनपदवार/कार्यक्रमवार फॉट

क्र०सं०	जनपद का नाम	आधार पौधशाला	प्राथमिक पौधशाला	प्रदर्शन	योग (धनराशि लाख रु० में)
1	2	3	4	5	6
1	सहारनपुर	22.480	78.020	10.575	111.075
2	मु०नगर	26.160	90.760	12.225	129.145
3	शामली	10.000	34.740	4.650	49.390
योग मण्डल		58.640	203.520	27.450	289.610
4	मेरठ	22.640	78.600	10.650	111.890
5	बागपत	14.180	49.210	6.675	70.065
6	गाजियाबाद	3.600	12.480	1.650	17.730
7	बुलन्दशहर	12.800	44.420	6.000	63.220
8	हापुड़	6.260	21.700	2.925	30.885
योग मण्डल		59.480	206.410	27.900	293.790
9	मुरादाबाद	11.640	40.390	5.475	57.505
10	रामपुर	6.350	22.030	3.000	31.380
11	सम्भल	7.730	26.810	3.600	38.140
12	अमरोहा	13.500	46.850	6.375	66.725
13	बिजनौर	42.100	146.060	19.725	207.885
योग मण्डल		81.320	282.140	38.175	401.635
14	बरेली	19.190	66.590	9.000	94.780
15	बदायू	5.640	19.550	2.700	27.890
16	पीलीभीत	18.130	62.940	8.475	89.545
17	शाहजहॉपुर	14.220	49.330	6.675	70.225
18	कासगंज	1.780	6.210	0.900	8.890
19	अलीगढ	3.600	12.500	1.650	17.750
योग मण्डल		62.560	217.120	29.400	309.080
20	लखीमपुर	52.170	181.030	24.975	258.175
21	सीतापुर	26.030	90.320	12.225	128.575
22	रायबरेली	0.560	1.960	0.300	2.820
23	फरूर्खाबाद	3.250	11.300	1.500	16.050

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

24	हरदोई	10.570	36.680	4.950	52.200
25	कानपुर	1.560	5.410	0.750	7.720
योग मण्डल		94.140	326.700	44.700	465.540
26	फैजाबाद	11.340	39.320	5.325	55.985
27	सुल्तानपुर	2.200	7.600	0.975	10.775
28	बाराबंकी	1.650	5.720	0.825	8.195
29	जौनपुर	0.890	3.070	0.375	4.335
30	गाजीपुर	0.670	2.330	0.300	3.300
31	वाराणसी	0.450	1.580	0.225	2.255
योग मण्डल		17.200	59.620	8.025	84.845
32	गोण्डा	17.020	59.050	7.950	84.020
33	बलरामपुर	19.260	66.840	9.000	95.100
34	बहराईच	16.580	57.530	7.800	81.910
योग मण्डल		52.860	183.420	24.750	261.030
35	गोरखपुर	1.210	4.180	0.525	5.915
36	बस्ती	16.010	55.560	7.500	79.070
37	महाराजगंज	4.400	15.290	2.100	21.790
38	सिद्धार्थनगर	0.630	2.180	0.300	3.110
योग मण्डल		22.250	77.210	10.425	109.885
39	देवरिया	3.410	11.810	1.575	16.795
40	कुशीनगर	17.400	60.360	8.175	85.935
41	मउ	2.300	8.000	1.050	11.350
42	बलिया	0.860	2.960	0.375	4.195
43	आजमगढ	2.580	8.930	1.200	12.710
योग मण्डल		26.550	92.060	12.375	130.985
कुल योग मण्डल		475.000	1648.200	223.200	2346.400
गन्ना शोध परिषद शाहजहॉपुर (ब्रीडर शीड उत्पादन कार्यक्रम)					153.600
कुल योगः-					2500.000

नोट- (1)जनपद शामली हापुड तथा सम्भल को आवंटित धनराशि क्रमशः जिला गन्ना अधिकारी मुजफ्फरनगर गाजियाबाद तथा मुरादाबाद द्वारा आहरण कर सम्बन्धित को उपलब्ध कराया जायेगा।

(2) गन्ना शोध परिषद शाहजहॉपुर को आवंटित धनराशि, आहरण वितरण अधिकारी कार्यालय गन्ना आयुक्त द्वारा गन्ना शोध परिषद शाहजहॉपुर को उपलब्ध कराया जयेगा।

(राम मोहन सक्सेना)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in